

न्यायालय :-सदस्य, प्रथम अतिमोदुदाधिबालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर
 (पीठासीन अधिकारी— वाचस्पति मिश्र)

मोटर दुर्घटना दावा क्र.-83/2017

संस्थित दिनांक -23.11.2015

फाईलिंग नंबर-222/2017

सी.एन.नंबर-एम.पी. 5005-001872-2017

संतोष बिसेन पिता धमनलाल बिसेन उम्र 31 वर्ष जाति पंवार
 निवासी-ग्राम बन्ना, थाना तहसील बैहर
 जिला बालाघाट (म.प्र.) - - - - - **आवेदक ।**

- / / **विरुद्ध** / / -

- 1- यशवंत पंजरिया पिता नारायण पंजरिया (वाहन चालक)
 निवासी-वार्ड नंबर 8 पिपरिया थाना तहसील बैहर
 जिला बालाघाट (म.प्र.)
- 2- सुंदरलाल भिमटे पिता आत्माराम भिमटे (वाहन स्वामी)
 निवासी-ग्राम पिपरिया थाना तहसील बैहर जिला बालाघाट
- 3- शाखा प्रबंधक, एच.डी.एफ.सी.एंग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
 शाखा कार्यालय डी.एम. टावर, प्लॉट नंबर 205-206
 द्वितीय तल न्यू पलासिया रोड तहसील व जिला इंदौर (म.प्र.)
 (बीमा कंपनी) - - - - - **अनावेदकगण**

=====

आवेदक द्वारा श्री हेमेश्वर बिसेन अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रमांक 1, 2 द्वारा श्री राजेश पटेल अधिवक्ता ।

अनावेदक क्रमांक 3 द्वारा श्री टी.एल. सिंह अधिवक्ता ।

=====

- / / **अ वा र्ड** / / -

(आज दिनांक 22 जून 2018 को पारित)

1. आवेदक ने यह मोटर दुर्घटना दावा दिनांक 25.10.2015 को दोपहर करीब 12:00 बजे पेट्रोल पम्प के पास बैहर अंतर्गत थाना बैहर लोकमार्ग पर वाहन ऑटो क्रमांक M.P. 50 - R- 0418 द्वारा दुर्घटना कारित किए जाने से

धमनलाल बिसेन की मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप प्रतिकर राशि प्राप्त करने हेतु अनावेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है।

2. आवेदन पत्र का संक्षिप्त सार यह है कि मृतक धमनलाल 60 वर्षीय हष्ट-पुष्ट व्यक्ति होकर दूध का व्यवसाय कर 10,000/-रुपए मासिक आय अर्जित कर स्वयं तथा परिवार का पालनपोषण करता था। घटना दिनांक 25.10.2015 को दोपहर करीब 12:00 बजे पैदल बैहर जा रहा था तभी आटो क्रमांक क्रमांक M.P. 50 - R- 0418 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा वाहन को लापरवाहीपूर्वक ढंग से चलाकर बारह पत्थर पेट्रोल पम्प बैहर लोकमार्ग पर उसे टक्कर मार दिया जिससे धमनलाल गिर गया। धमनलाल के सिर में गंभीर चोट कारित हुई, जिला चिकित्सालय में उपचार हेतु भर्ती कराया गया, जहाँ से गंभीर चोट होने से उसे नागपुर रेफर किया गया, एम्बुलेंस से नागपुर ले जाते समय धमनलाल की रास्ते में मृत्यु हो गई।

3. आवेदक संतोष बिसेन उम्र 31 वर्ष मृतक धमनलाल का पुत्र है। दुर्घटना के समय उक्त वाहन का चालक यशवंत अनावेदक क्रमांक 1 था तथा वाहन का पंजीकृत स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 था एवं वाहन अनावेदक क्रमांक 3 एच.डी.एफ.सी. एग्रो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बीमा कंपनी के पास दुर्घटना के समय बीमित था जिसकी बीमा पॉलिसी नंबर 002302181533 होकर बीमा वैधता अवधि दिनांक 01.12.2014 से 30.11.2015 तक थी। मृतक दुग्ध व्यापार कर 10,000/-रुपए प्रतिमाह आय अर्जित करता था। मृतक की मृत्यु हो जाने से भविष्य में होने वाली आय की क्षति 7,50,000/-, पितृ सुख से वंचित होने से आवेदक को हुई क्षति 1,00,000/-, शारीरिक व मानसिक क्षति के पेटे 1,00,000/-, अंतिम संस्कार व तेरहवीं के मद में 50,000/- इस प्रकार कुल 10,00,000/-रु. राशि पाने के लिये दावा पेश किया है। साथ ही 9 प्रतिशत ब्याज दिलाए जाने और अन्य अनुतोष की याचना की है।

4. अनावेदक क्रमांक 1 एवं 2 ने संयुक्त उत्तर पेश कर आवेदन के संपूर्ण अभिकथनों को अस्वीकार किया है। घटना दिनांक 25.10.2015 को मृतक धमनलाल पैदल जा रहा था एवं आटो क्रमांक सम.पी. 50 आर. 0418 के चालक द्वारा लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मारकर मृत्यु कारित करना इंकार किया है। मृतक धमनलाल को गंभीर चोट आना, नागपुर रेफर किया जाना इंकार किया है। विशिष्ट कथन करते हुए यह आधार लिया गया है कि घटना दिनांक 25.10.2015 को मृतक धमनलाल की लापरवाही से दुर्घटना कारित हुई है। उक्त घटना के लिये अनावेदक क्रमांक 1 व 2 दायित्वाधीन नहीं है। आवेदक द्वारा बढ़ा-चढ़ाकर असत्य आधार पर प्रतिकर राशि प्राप्त करने दावा पेश किया गया है। अनावेदक क्रमांक 1 विधिवत् लाईसेंसधारी है। उक्त वाहन दिनांक 01.12.2014 से 30.11.2015 तक बीमित था। वाहन का परमिट वैध है, वाहन की पाल्यूशन रिपोर्ट दिनांक 20.11.2015 से 20.05.2016 तक वैध है जो आर.टी.ओ. कार्यालय बालाघाट द्वारा जारी किया गया है। उक्त दावे से अनावेदक क्रमांक 1 व 2 को मुक्त किए जाने की याचना की है।

5. अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी ने पृथक् उत्तर पेश कर आवेदन के संपूर्ण अभिकथनों को इंकार किया है, मृतक आयु 60 वर्ष होना एवं उसकी मासिक आय 10,000/-रुपए होने से इंकार किया है। दुर्घटना दिनांक 25.10.2015 करीब 12:00 बजे होकर पुलिस थाना बैहर में अपराध क्रमांक 159/2015 अंतर्गत धारा 279, 337, 304ए भा.द.वि. के तहत पंजीबद्ध होना इंकार किया है। आवेदक को 10,00,000/-रुपए की क्षति होना इंकार किया है। उक्त दुर्घटना से मृतक धमनलाल बिसेन की मृत्यु होने से इंकार किया है।

6. विशिष्ट कथन करते हुए अनावेदक क्रमांक 1 के पास विधिवत वाहन चालन अनुज्ञप्ति होने से इंकार किया है। आवेदकगण और वाहन स्वामी के बीच दुरभि संधि होना व्यक्त किया है। आवेदक द्वारा धारा 140 मोटरयान

अधिनियम 1988 के अंतर्गत बिना दायित्व सिद्धांत के आधार पर 50,000/—रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है। दावा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है। दुर्घटना से हुई क्षति के लिए अनावेदक क्रमांक 3 उत्तरदायी नहीं है। आवेदन सव्यय निरस्त किए जाने की याचना की है।

दावे के निराकरण के लिए निम्नानुसार वाद प्रश्न निर्मित किए गए हैं :—

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या दिनांक 25.10.2015 को दिन के 12:00 बजे अंतर्गत थाना बैहर बारह पत्थर पेट्रोल पम्प के पास अना.क. 1 द्वारा आटो क्रमांक MP 50 R 0418 को उपेक्षापूर्ण ढंग से चलाकर धमनलाल बिसेन को टक्कर मारकर मृत्यु कारित की ?	हाँ
2.	क्या उक्त वाहन दुर्घटना के परिणामस्वरूप आवेदक के पिता धमनलाल बिसेन की मृत्यु कारित हुई ?	हाँ
3.	क्या उक्त दुर्घटना के समय अना.क. 1 या 2 द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों को भंग किया गया ?	नहीं
4.	क्या दुर्घटना के समय मृतक 60 वर्ष की आयु का होकर कृषि व दुग्ध व्यवसाय से 10,000/—रुपए मासिक आय प्राप्त करता था?	अवार्ड की कंडिका 16 के अनुसार राशि 5000/— रुपए
5.	क्या आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्ततः या पृथकतः 10,00,000/—(दस लाख) रुपए प्राप्त करने का अधिकारी है ?	अवार्ड की कंडिका 16 एवं (अ) (ब) (स) के अनुसार राशि 250000/— की सीमा तक देय।

6.	सहायता एवं व्यय ?	दावा आंशिक रूप से स्वीकृत।
----	-------------------	----------------------------------

वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2 का निष्कर्ष :-

7. संतोष बिसेन (आ.सा. 1) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 25.10.2015 को दिन के 12 बजे मृतक धमनलाल पैदल बैहर जा रहे थे तो पीछे से आटो क्रमांक M.P. 50 R. 0418 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक ढंग से आकर उसके पिता को टक्कर मार दिया जिससे धमनलाल के सिर पर फैटल इंज्यूरी आयी तथा उन्हें शासकीय चिकित्सालय बैहर लाया गया जहाँ से उन्हें बालाघाट एवं नागपुर रेफर किया गया। आगे व्यक्त किया है कि नागपुर ले जाते समय रास्ते में उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।

8. साक्षी ने दुर्घटना से संबंधित थाना बैहर के अपराध क्रमांक 159/2015 के दस्तावेज अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श ए-1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श ए-2, अपराध विवरण फार्म प्रदर्श ए-3, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श ए-4, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण प्रदर्श ए-5, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श ए-6, शव परीक्षण पंचायतनामा प्रदर्श ए-7 तथा शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श ए-10 के दस्तावेज अभिलेख पर प्रस्तुत किया है। जिरह में यह स्पष्ट किया है कि वह घटनास्थल पर मौके पर उपस्थित नहीं था।

9. तत्संबंध में दुर्घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी श्रीराम टेंभरे (आ.सा. 2) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 25.10.2015 को पेट्रोल पम्प बैहर के पास खड़ा था जहाँ से मृतक धमनलाल रोड किनारे जा रहा था तभी आटो क्रमांक M.P. 50 R. 0418 के चालक ने लापरवाहीपूर्वक ढंग से आकर उन्हें टक्कर मारकर

दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। आहत को घटनास्थल से ईलाज के लिए शासकीय अस्पताल बैहर लाया गया, गंभीर चोट आने के कारण बालाघाट लाया गया जहाँ से उन्हें नागपुर रेफर कर दिया। आगे व्यक्त किया है कि नागपुर ले जाते समय रास्ते में धमनलाल की मृत्यु हो गई। यह साक्षी दुर्घटना के संबंध में जिरह में स्थिर है। उक्त साक्षी द्वारा मात्र एफ.आई.आर. न लेख कराए जाने के आधार पर उसका बयान अभिलेख से समाप्त नहीं हो जाता है।

10. इसके विपरीत दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चालक अनावेदक क्रमांक 1 ने अपना परीक्षण नहीं करवाया है। अतः खंडन साक्ष्य के अभाव में संतोष बिसेन (आ.सा. 1) एवं श्रीराम टेम्भरे (आ.सा. 2) का बयान अभिलेख पर यथावत है। आवेदक साक्षीगण के बयान की पुष्टि अपराध क्रमांक 159/2015 अंतर्गत थाना थाना के दस्तावेजी प्रमाण अंतिम प्रतिवेदन प्रदर्श ए-1, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श ए-2, अपराध विवरण फार्म प्रदर्श ए-3, सम्पत्ति जप्ती पत्रक प्रदर्श ए-4, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण प्रदर्श ए-5, नक्शा पंचायतनामा प्रदर्श ए-6, शव परीक्षण पंचायतनामा प्रदर्श ए-7 तथा शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्श ए-10 से होती है।

11. जहाँ तक योगदायी उपेक्षा का प्रश्न है। तत्संबंध में अनावेदक पक्ष ने कोई पॉजीटिव साक्ष्य अभिलेख पर नहीं लाई है। अतः निष्कर्ष यह है कि घटना दिनांक 25.10.2015 को वाहन ऑटो क्रमांक M.P.50 R.-0418 के चालक अनावेदक क्रमांक 1 द्वारा लापरवाहीपूर्वक ढंग से चालन करने के फलस्वरूप उक्त दुर्घटना घटित होने से धमनलाल की मृत्यु दुर्घटना में फेटिल इंजुरी से होने का तथ्य प्रमाणित पाया जाता है। उक्तानुसार वादप्रश्न क्रमांक 1 व 2 निराकृत किया जाता है।

वादप्रश्न क्रमांक 3 का निष्कर्ष :-

12. वादप्रश्न क्रमांक 3 को प्रमाणित करने का भार बीमा कंपनी पर है। अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी की ओर से **प्रवीण सिजारिया सहायक प्रबंधक (अना.सा. 2)** ने व्यक्त किया है कि आक्षेपित वाहन ऑटो क्रमांक M.P.50 R.-0418 उनके कार्यालय में पॉलिसी क्रमांक 23142009 00923495400000 से दिनांक 01.12.2014 से 30.12.2015 तक के लिये बीमित था जो प्र.एन.ए.-2 है। आगे व्यक्त किया है कि दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन चालक के पास व्यवसायिक चालन का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। तत्संबंध में आर.टी.ओ. कार्यालय बालाघाट का पर्टिकुलर प्र.एन.ए. 3 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना व्यक्त किया है। आगे कथन किया है कि दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं वैध परमिट के बिना संचालित किया जा रहा था। अतः उक्त वाहन बीमा शर्तों के उल्लंघन में संचालित किया गया था।

13. उक्त संबंध में आर.टी.ओ. कार्यालय बालाघाट के क्लर्क **हरपाल सिंह बुंदेला (अना.सा. 1)** ने व्यक्त किया है कि उनके कार्यालय द्वारा प्र.एन.1 का ड्राइविंग लाइसेंस नंबर 8MP50A 2015-0036981- LMV ARNT के लिए जारी किया गया था जो कि दिनांक 30.03.2015 से 29.03.2035 तक के लिये वैध था। लेकिन हरपाल सिंह बुंदेला (अना.सा. 1) ने जिरह में स्वीकार किया है कि उक्त प्रकार का L.M.V. का संधारण ऑटोरिक्षा चालक संधारित कर सकता है (यह सही है कि इस ड्राइविंग लाइसेंस का धारक ऑटोरिक्षा चला सकता है) जो कि दिनांक 30.03.2015 से 29.03.2035 तक वैध होना बताया है।

14. अभिलेख पर TEMPORARY PERMIT सुंदरलाल के नाम जारी किया गया है जो कि वाहन क्रमांक M.P.50 R.-0418 दिनांक 09 अक्टूबर

2015 तक के लिए जारी किया गया है जिसकी नेट से प्राप्त INVOICE भी अभिलेख पर संलग्न है।

15. उक्त विवेचन, विश्लेषण एवं जिरह में आयी हुई स्वीकारोक्ति के परिप्रेक्ष्य में अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी वादप्रश्न क्रमांक 3 पर निहित प्रमाणभार डिस्चार्ज करने में असफल रहती है।

वादप्रश्न क्रमांक 4 का निष्कर्ष :-

16. संतोष बिसेन (आ.सा. 1) ने व्यक्त किया है कि दुर्घटना के पूर्व मृतक धमनलाल 10,000/- (दस हजार) रुपए मासिक आय प्राप्त करता था। तत्संबंध आवेदक द्वारा कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः दुर्घटना के पूर्व मृतक को कम-से-कम 5,000/- रुपए मासिक आय अर्जन किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है। उक्त आधार पर गणना उक्त आधार पर गणना करने पर वार्षिक आय की क्षति 60,000/- रुपए निर्धारित की जाती है।

न्यायदृष्टांत :- “सरला वर्मा बनाम देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन 2009 (4) एम.पी.एच.टी. 99” (सु.को.) के अनुसार एक-तिहाई राशि स्वयं पर व्यय करता होगा। इस प्रकार उक्त राशि कम करने पर वार्षिक क्षति 40,000/- निकलती है। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श ए-10 में मृतक धमनलाल की आयु Above 65 year लेख है। “सरला वर्मा बनाम देहली ट्रान्सपोर्ट कार्पोरेशन 2009 (4) एम.पी.एच.टी. 99” (सु.को.) के अनुसार 5 का गुणांक अपनाया जाना न्यायसंगत है। इस प्रकार गणना करने पर $40000 \times 5 = 2,00,000/-$ क्षति निर्धारित की जाती है तथा अंतिम संस्कार के मद में 15,000/-, संपदा की हानि के मद में 15,000/-, पितृ सुख के मद में 20,000/- इस प्रकार कुल क्षति $(200000 + 15000 + 15000 + 20000) = 2,50,000/-$ (दो लाख पचास हजार) रुपए निकलती है जो कि Just

Compensation की श्रेणी में आती है। उक्तानुसार वादप्रश्न क्रमांक 04 निराकृत किया जाता है।

17. अतः अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी को यह निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवार्ड राशि 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रूपए प्राथमिकता के आधार पर आवेदक याचिकाकर्ता संतोष बिसेन के पक्ष में अदा करेगी।

18. आवेदक संतोष बिसेन अवार्ड राशि 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रूपए में से 1,00,000/- (एक लाख) रूपए एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकारी होगा तथा शेष राशि 1,50,000/- रूपए (एक लाख पचास हजार) रूपए 05 वर्ष की अवधि तक के लिये किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट की जावेगी, जिस पर वह त्रैमासिक ब्याज आवश्यक खर्च हेतु प्राप्त करने का अधिकारी होगा। उक्तानुसार आवेदक/याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक 83/2017 आंशिक रूप से उक्तानुसार स्वीकार किया जाता है :-

सहायता एवं व्यय :-

{अ} मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक 83/2017 के आवेदक संतोष बिसेन पिता स्वर्गीय धमनलाल बिसेन को प्राप्त होने वाली राशि 2,50,000/- (दो लाख पचास हजार) रूपए में से 1,00,000/- (एक लाख) रूपए एकाउंट पेयी चेक के माध्यम से प्राप्त करने का अधिकारी है तथा शेष राशि 1,50,000/- (एक लाख पचास रूपए) किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स डिपॉजिट किया जावे जिस पर वह त्रै-मासिक ब्याज अपने जीवन निर्वाह हेतु प्राप्त करेगा।

{ब} उक्त अवार्ड राशि प्राथमिकता के आधार पर अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी आवेदक/याचिकाकर्ता संतोष बिसेन को अदा करेगी।

{स} आवेदक संतोष बिसेन उक्त प्रतिकर राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 7 प्रतिशत ब्याज सहित अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी से पाने का भी अधिकारी है।

{द} तदनुसार व्यय तालिका बनाई जावे।

{इ} अधिवक्ता शुल्क नियमानुसार देय हो।

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे बोलने पर मुद्रित।

दिनांक :- 22 जून 2018

Sd/-

(वाचस्पति मिश्र)

सदस्य

प्र०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर

—:: व्यय तालिका ::—

क	विवरण	आवेदकगण	अना.क.1, 2	अना.क. 3
1.	वाद पत्र पर शुल्क	20-00	-	-
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	-	-	40-00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10-00	20-00	10-00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	-	-
5.	अधिवक्ता फीस	-	-	-
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	-	-	20-00
	योग —	30.00	20.00	70.00

Sd/-

(वाचस्पति मिश्र)

सदस्य

प्र०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट

श्रृंखला न्यायालय बैहर